WELLCOME

रूपरेखा :-

- प्रस्तावना
- अधिकार का अर्थ
- अधिकार की परिभाषा
- महिलाओं के अधिकार
- जनजातियों के अधिकार
- निष्कर्ष
- संदर्भ ग्रंथ सूची

प्रस्तावना

वर्तमान समय में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने हेतु संविधान में कई सारे नियम व कानून की संरचना की गई है । इन कानूनों में महिलाओं की संवेदनशीलता एवं पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने और इस संबंध में पुरुषों की मानसिकता में परिवर्तन हेतु संक्षिप्त अवधि वाले कार्यक्रम बनाए गए हैं । इन कार्यक्रमों को परामर्श करके रणनीति तैयार कराने जैसे कार्यक्रम अपनाए गए जिसमें महिलाओं की स्थिति सुधारने वाली गतिविधियों को अनुच्छेद 44 की आत्मा के अनुसार अर्थात राजनीतिक निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए सभी नागरिकों को स्वतंत्रता एवं समानता के अधिकार संबंधी वीडियो को लागू करने की निकाली नीतियां बनाई जा सके । इसी प्रकार भारतीय समाज में लोगों का एक वर्ग कुछ मूलभूत अधिकारों से वंचित या जिनका प्राचीन काल में शेष लोगों द्वारा उपयोग किया जाता था । जिसके परिणाम स्वरूप व आर्थिक सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े रह गए अन्य समुदायों की तुलना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच मौलिक विसंगतियां होने और उसके स्तर को ऊपर उठाने के लिए विशेष उपायों की अति आवश्यकता के कारण अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के बारे में संविधान में एक स्पष्ट विशिष्टता बनाई गई है ।

अधिकार का अर्थ

किसी वस्तु को प्राप्त करने या किसी कार्य को संपादित करने के लिए उपलब्ध कराया गया किसी व्यक्ति की कानून सम्मत , संविधान सम्मत , सुविधा , दावा विशेषाधिकार है । कानून द्वारा प्रदत्त सुविधाएं अधिकारों की रक्षा करती है दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना संभव नहीं है । जहां कानून अधिकारों को मान्यता देता है वह इन्हें लागू करने या इन की अवहेलना पर नियंत्रण स्थापित करने की व्यवस्था भी करता है।

दूसरे शब्दों में अधिकार उन बातों का प्रतीक है जिन्हें समाज के सभी लोगों के सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं ।

अधिकार की परिभाषाएं

1. लास्की के अनुसार :-

" अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां है , जिसके बिना साधारणत: कोई मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता । "

2 . हॉलैण्ड के अनुसार :-

" अधिकार एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के कर्तव्य को समाज के मन और शांति द्वारा प्रभावित करने की क्षमता है । "

महिलाओं के अधिकार

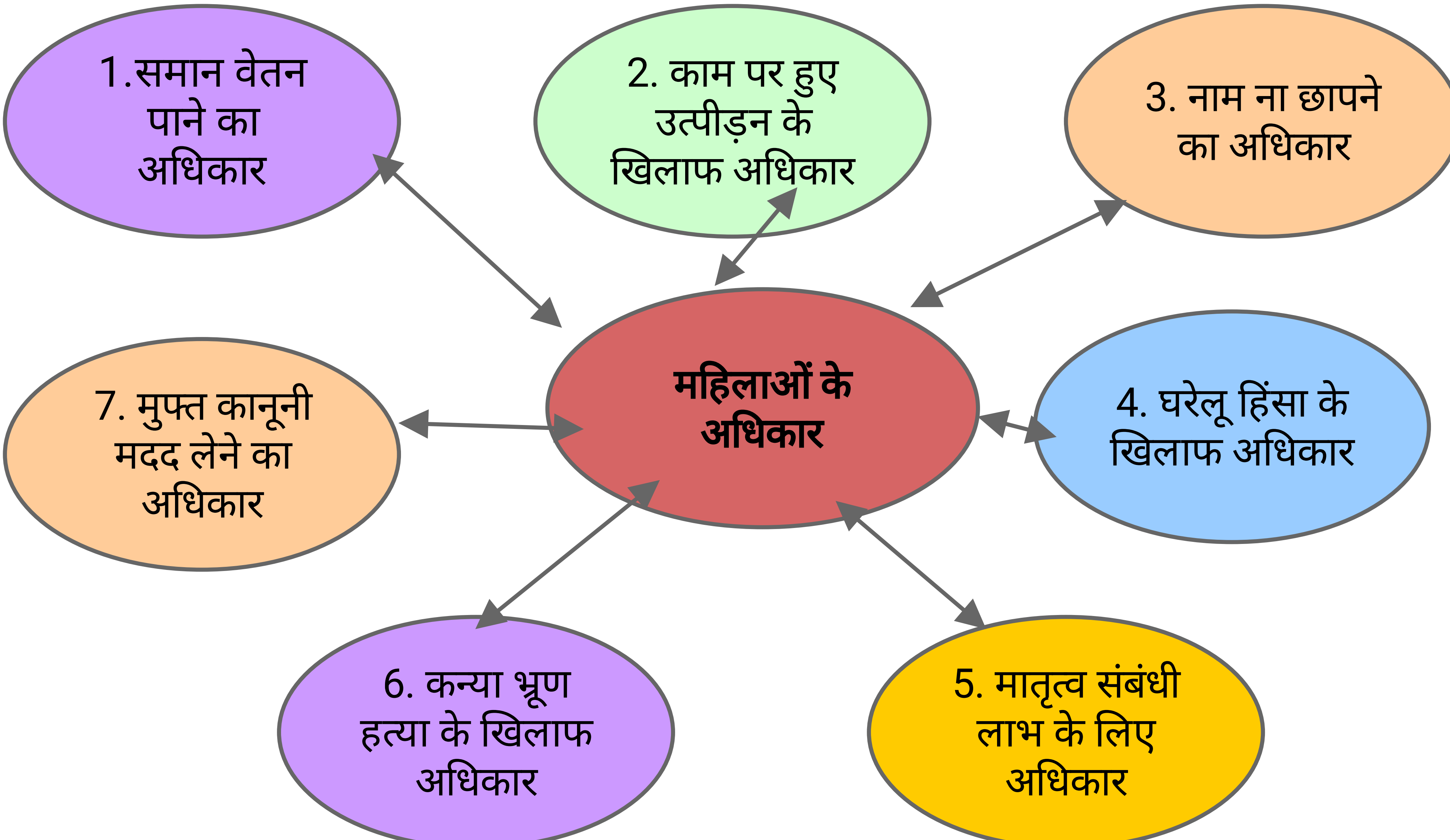

महिलाओं के अधिकार
1.समान वेतन पाने का अधिकार
2. काम पर हुए उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार
3. नाम ना छापने का अधिकार
4. घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार
5. मातृत्व संबंधी लाभ के लिए अधिकार
6. कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार
7. मुफ्त कानूनी मदद लेने का अधिकार

जनजातियों के अधिकार

1.चिकित्सा एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालय में प्रवेश के समय दिए जाने वाले आरक्षण ।
2. प्रतियोगी परीक्षा में आरक्षण का अधिकार ।
3. आयु में छूट का अधिकार ।
4 . शिक्षा का अधिकार ।
5. शासकीय सेवाओं में छूट का अधिकार ।
6. समानता का अधिकार ।
7. विशेष छात्रवृत्ति प्राप्त करने का अधिकार ।

निष्कर्ष :-

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि , महिलाओं को प्रदत्त अधिकारों एवं उनके लिए बनाए गए अधिनियम के बाद भी महिलाओं की स्थिति सोचनीय है । स्वतंत्रता के पश्चात से लेकिन विभिन्न अधिनियम जैसे हिंदू विवाह अधिनियम , दहेज प्रताड़ना अधिनियम , विशेष विवाह अधिनियम आदि के कारण महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को हनन से रोकने के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान बनाए गए हैं जिससे उसके अधिकारों का संरक्षण हो सके ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

लेखक का नाम | **पुस्तक का नाम**

डॉ. जयप्रकाश पांडे - भारत का संविधान

श्री राम अहूजा - भारतीय दंड संहिता

Thank You